1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Assistant Director (Official Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Assistant Director (Official Language), Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the Schedule to the said rules, in column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix";

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 (Rs.56100) in the pay matrix".

4. In the Schedule to the said rules, in column (11), in clause (1),-

(i) in sub-clause (a),-

(a) in item (ii), for the words, figures, brackets and letters "pay band-2 (Rs.9300-34800) and Grade Pay of Rs.4600", the words, figures, brackets and letters "Level-7 (Rs.44900) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in item (iii), for the words, figures, brackets and letters "pay band-2 (Rs.9300-34800) and Grade Pay of Rs.4200", the words, figures, brackets and letters "Level-6 (Rs.35400) in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) under the heading "Desirable", in the "Note", for the words, figures, brackets and letters "pay band-2 (Rs.9300-34800) and Grade Pay of Rs.4600", the words, figures, brackets and letters "Level-7 (Rs.44900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. 21/12/2016-CGWB]

P. DEB, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 67, dated the 21st May, 2016.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, समूह (ग) पद, भर्ती नियम 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बढ़ई समूह (ग) पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ०:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बढ़ई	**1* (2017)** *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	**(7)**
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच **(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)** टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । **(**न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।**)** टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ईगिरी का प्रणाण-पत्र, साथ ही सरकार या सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23/11/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

पी. देव, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2017

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Carpenter, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Carpenter** in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Carpenter, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in pay matrix:** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Carpenter	1* (2017) *Subject to variation depend on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500) in pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tipura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation from a recognised Board and certificate in carpentry from Industrial Training Institute or a recognised Institute with three years working experience in the Government or recognised institute.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board — Chairman; 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member; 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member.	Not applicable.

[F.No. 23/11/2016-CGWB]

P. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वरिष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, में निजी सचिव के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, निजी सचिव, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।